मतदान दिवस व्यवस्था

Vivek Rai P.C.S

9411102121

NLMT

Municipal Commissioner

Nagar Nigam Kashipur

Distt. Udham Singh Nagar (Uttarakhand)

मतदान दिवस व्यवस्था

मतदान दिवस

मतदान दिवस पर घटनाक्रम घटित होने के निम्न मुख्य केन्द्र होते है

1– मतदान स्थल/मतदान केन्द्र।

2– माईक्रो स्ट्रांग रूम।

3– कन्ट्रोल रूम।

4– सम्पूर्ण विधानसभा क्षेत्र।

क– कानून व्यवस्था।

ख– आदर्ष आचार संहिता।

5– मतगणना स्थल से लगे हेतु राजस्व ग्राम /नगर क्षेत्र।

6– मतदान सामग्री संग्रहण केन्द्र।

7– स्ट्रांग रूम।

मतदान स्थल
एम0सी0सी0
रिजर्व पार्टी
परिवहन
मतदान केन्द्र से बाहर
संरचरण रिपोर्ट
समन्वय
सेक्टर अधिकारी/व्यय प्रेक्षक/सामान्य प्रेक्षक
कन्ट्रोल रूम
खराब ई0वी0एम0 परिवर्तन
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय
मतदान सामग्री प्राप्ति केन्द्र
कानून व्यवस्था
स्ट्रांग रूम

मतदान केन्द्र

चुनाव आयोग से सहमति दिये गये स्थल ही मतदान स्थल होगे। आर0पी0 एक्ट–1950 धारा–25

किसी अन्य स्थान पर किया गया मतदान शून्य होगा।

अन्यत्र मतदान कराने पर पुनः मतदान कराना होगा।

रिजर्व मतदान पार्टी की उपलब्धता आवश्यकतानुसार कम समय में रिजर्व पार्टी या सदस्य को बदलना।

ब्लाक नगर पालिका/निगम/लोक निर्माण विभाग/तहसील के सहयोग से पोलिंग बूथ निर्माण।

ए0एम0एफ0– भोजन, पानी, छाया, फर्नीचर, लाईट, साईनेज, महिला, पुरूष षौचालय, हैल्प डेस्ट, रैम्प की व्यवस्था।

सेक्टर आफिसर

सेक्टर अधिकारी 5 से 10 बूथो के प्रबन्धन हेतु तैनात किये जायेगे।

मतदान दिवस से पूर्व ए0एम0एफ0 सुनिश्चित करायेंगे।

वलनरबिल्टी मैपिंग हेतु सूचनायें रिटर्निंग आफिसर को देगे।

मतदान केन्द्र पर पहुचने के लिये रूट चार्ट सुझायेंगे।

मतदान दल को मतदान केन्द्र तक सकुशल पहुचायेंगे।

मतदान दिवस को छद्म मतदान।

मतदान प्रारम्भ होने तथा निर्धारित समय पर मतदान प्रतिशत रिटर्निंग आफिसर को बतायेंगे।

खराब ई0वी0एम0 को आधे घण्टे के अन्दर बदलवायेंगे।

निर्धारित बूथो के मध्य साफ और बाधा रहित मतदान सुनिश्चित कराने के लिये भ्रमण एवं सूचना प्रेषित करेंगे।

अपनी अभिरक्षा मे मतयुक्त ई0वी0एम0 प्राप्त करायेंगे।

सुरक्षा व्यवस्था

क्रिटिक्ल बूथ पर सी0पी0एफ0 की तैनाती की जायेगी।

या

माईक्रो आब्जर्वर

या

लाईव वैबकास्टिंग

या

वीडियो कैमरा

या

स्थाई कैमरा

या

स्थिर कैमरे से कवरेज की जायेगी।

माईक्रो आब्जर्वर

एक मतदान केन्द्र पर एक से अधिक बूथ होने की दशा में मतदान प्रक्रिया को अत्यन्त निकटता से देखने गतिविधियों को नोट करने के लिये केन्द्रीय कार्मिको के पूल से माईक्रो आब्जर्वर तैनात किये जायेंगे।

माईक्रो आब्जर्वर पोल दिवस पर निर्धारित प्रारूप में तथा अतिरिक्त सूचना के साथ मतदान दिवस की गतिविधियों को बंद लिफाफे में रिटर्निंग आफिसर के माध्यम से आब्जर्वर को उपलब्ध करायेंगे।

समीक्षा के दौरान माईक्रो आब्जर्वर की रिपोर्ट किसी निर्णय पर पहुचने में सहायता करेगी।

कन्ट्रोल रूम एवं संचार व्यवस्थायें

1—जिला निर्वाचन कार्यालय में एक कन्ट्रोल रूम स्थापित होगा। जिसमे निम्न सुविधायें होगी।

1—टेलीफोन।

2—फैक्स।

3—इंटरनेट।

4—सभी आवश्यक फोन नम्बर।

2—कन्ट्रोल रूम मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, पुलिस व सामान्य सेक्टर अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, रिजर्व दल, परिवहन इंचार्ज, आब्जर्वर आदि से समन्वय बनायेगा।

सभी मतदान केन्द्र पर छद्म मतदान, मतदान प्रारम्भ होने, मतदान प्रतिषत, ई0वी0एम0 परिवर्ततन की सूचनायें प्राप्त करेगा, मतदान प्रक्रिया को सुचारू करने में जिम्मेदार अधिकारियों को सूचना देगा।

मतदान दिवस के दिन प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु आदान प्रदान करेगा।

मतदान अवधि समाप्त होने पर लाईन में लगे मतदाताओं की सूचना तथा पोलिंग पार्टी के मतदान केन्द्र से मतदान दल के प्रस्थान करने तथा प्राप्ति केन्द्र तक पहुचने में समन्वय बनायेगा।

विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करायेगा।

प्रत्येक दो घण्टे पर मतदान प्रतिषत की सूचना मीडिया के साथ शेयर करेगा।

मतदान केन्द्र पर स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधायें।

(ग्रीष्म ऋतु में)

प्रत्येक बूथ पर छायादार स्थल की व्यवस्था।

पीने के पानी के घड़े की व्यवस्था।

ओरल डिहाईड्रेशन की व्यवस्था।

मुख्य चिकित्साधिकारी के स्तर से ग्रीष्म ऋतु में सावधानी सम्बन्धी सूचना प्रदर्शन।

मतदाताओं से छतरी लाने, भीगी तौलयों के उपयोग की अपील।

महिला मतदाताओं के लिये मतदान केन्द्र पर विषेश सुविधायें

ई0सी0आई0 पत्र सं0–576/11/ई0एस0ओ0 24/94–जे0एस0 द्वितीय दिनांक 21.10.1994

महिला मतदाओं के लिये पृथक से बूथ निर्मित किया जा सकता हैं।

पर्दानशी महिलाओं के लिये महिला मतदान अधिकारी की व्यवस्था होगी।

महिला पुरूष मतदाताओं के लिये पृथक–पृथक लाईन बनायी जायेगी।

कुछ बूथो को केवल महिला मतदान कार्मिको के स्तर से संचालित किये जाने की व्यवस्था हैं।

मतदान केन्द्र पर दिव्यांगों के लिये विषेश सुविधायें

ई0सी0आई0 पत्र सं0–509/110/2004/जे0एस0–प्रथम दिनांक 26.10.2007

वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग मतदाता, महिला मतदाता छोटे बच्चे के साथ को बिना लाईन में इंतजार किये सीधे मतदान सुविधा दिये जाने की व्यवस्था हैं।

दिव्यांग/चल फिर न पाने वाले मतदाताओं के लिये मतदान केन्द्र पर रैम्प के जरियें केन्द्र के अन्दर मतदान कराने का प्राविधान हैं।

अन्धे एवं कमजोर मतदाताओं के लिये पीठासीन अधिकारी नियम 49–एन0 के अनुसार सुविधा देंगे।

80वर्ष से अधिक आयु वर्ग को पोस्टल ballot की सुविधा रिटर्निंग आफिसर देंगे।

विशेष श्रेणी के मतदाताओं को चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गई सुविधाओं की व्यवस्था करना तथा की गई व्यवस्था का प्रचार प्रसार करना रिटर्निंग आफिसर का दायित्व होगा।

मतदाता सुविधा बूथ

03 या 03 से अधिक मतदान स्थल वाले मतदान केन्द्रों पर

मतदाताओं को उनका नाम तथा मतदाता सूची क्रमांक संख्या खोजकर देने हेतु अधिकारियों का एक दल तैनात किया जायेगा।

जिनके बैठने तथा साईनेज की व्यवस्था की जायेगी।

सशस्त्र बल को बूथ के अन्दर जाने पर रोक

ECI No. 464/INST/2007 PLN-I dt. 24.2.2007)

सशस्त्र सुरक्षा बल बिना पीठासीन अधिकारी के बुलाये मतदान केन्द्र में प्रवेश नही करेंगे।

किसी व्यक्ति के साथ तैनात सुरक्षा कर्मी को भी बूथ के अंदर जाने की इजाजत नही होगी।

जेड प्लस सुरक्षा वाले व्यक्ति के साथ तैनात मात्र एक सुरक्षा कर्मी को सादे कपड़ो में हथियार छुपाकर जाने की अनुमति होगी।

मंत्री, सासंद, विधायक को निर्वाचन एजेण्ट बनने से कुछ दशाओं में रोक हैं।

ECI No. 137/INST/2008 EPS dt. 14-10-2008

1–ऐसे मंत्री सांसद विधायक जिन्हे सुरक्षा कवर दिया गया है।

2–ऐसे मंत्री विधायक को सुरक्षा कवर त्याग कर एजेण्ट बनने की अनुमति नही दी जा सकती है।

मतदान बूथ के निकट निरोधात्मक कार्यवाही

(ECI LETTER 464/INST/2007/PLN-1 DATED 12/01/2007 AND INSRUCTIONS IN LETTER NO.464/INST/2008/EPS DATED 16/01/2009

पोलिंग बूथ से 100 मीटर के अन्दर बूथ या सार्वजनिक स्थल या प्राईवेट स्थल पर प्रचार की अनुमति नही होगी।

किसी भी राजनैतिक दल या उम्मीदवार द्वारा पोलिग बूथ से 200 मीटर के अन्दर अपना बूथ नही बनाया जायेगा।

आपराधिक रिकार्ड न रखने वाले

दो व्यक्ति सम्बन्धित बूथ के मतदाता हो

तथा निर्वाचन पहचान पत्र रखते हो,

को केवल एक मेज, दो कुर्सी, के साथ बूथ से 200 मीटर बाहर उम्मीदवार का बूथ लगाने की अनुमति होगी।

जिसका व्यय उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जायेगा।

इस हेतु रिटर्निंग ऑफिसर से लिखित अनुमति ली जायेगी।

इस बूथ से सफेद कागज पर बिना उम्मीदवार पार्टी के नाम व सिम्बल के केवल मतदाता के मतदाता सूची क्रमांक से सम्बन्धित पहचान स्लिप जारी की जायेगी।

इस बूथ पर निर्धारित आकार 3x1.5 Fit का एक बैनर जिसमें पार्टी का सिम्बल तथा उम्मीदवार का नाम लिखा हो बूथ पर लगाने की अनुमति होगी।

बूथ से 100 मीटर के अन्दर मोबाईल/ सेलूलर फोन ले जाने की अनुमति निर्वाचन में लगे अधिकारियों के अतिरिक्त किसी को नही होगी।

[ECI No. 464/INST/2007-PLN-1 dt. 12.1.2007]

पीठासीन अधिकारी बूथ के अंदर अपना मोबाईल स्विच आफ रखेंगे। आवश्यक होने पर बूथ से बाहर जाकर बात करेंगे।

बूथ के 100 मीटर के अन्दर किसी ऐसे यंत्र का प्रयोग न करेगे जिससे की आवाज बढ जाती हो।

उल्लंघन करने पर उपकरण जब्त किया जायेगा।

100 मीटर की परिधि में चिल्लाना या किसी प्रकार का अन्य प्रकार का प्रतिबन्धित कृत्य दण्ड़नीय होगा।

मतदान दिवस पर वाहन संचालन पर प्रतिबन्ध

[ECI's No. 437/6/96-PLN-III dt. 16.01.1996 & dated 24.3.2007 and No. 437/6/2006 - PLN-III dt. 23.11.2007]

उम्मीदवार, निर्वाचन एजेण्ट तथा उम्मीदवार के कार्यकर्ताओ/पार्टी कार्यकर्ताओं हेतु एक–एक वाहन अनुमन्य जिसमें चालक को लेकर 5 व्यक्ति बैठना अनुमन्य हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी/पीठासीन अधिकारी के स्तर से वाहन अनुमति अनुज्ञा गाड़ी के सामने शीषे पर चिपकानी होगी।

यदि उम्मीदवार विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित नही है तो किसी अन्य नेता, कार्यकर्ता को उम्मीदवार के अनुमन्य वाहन उपयोग की अनुमति नही होगी।

इन अनुमन्य वाहनों से वोटर को मतदान बूथ तक ले जाना भ्रष्ट आचरण के अन्तर्गत धारा 133 व आर0पी0एक्ट 1951 की धारा–123 (5) के अन्तर्गत दण्ड़नीय होगा।

अपवाद

निर्वाचन डयूटी में लगे सरकारी अधिकारी, मरीज, कमजोर व्यक्ति, इमरजेन्सी डयूटी वाहन पर प्रतिबन्ध नही होगा।

मतदाता द्वारा स्वयं का वाहन मतदान हेतु प्रयोग करना प्रतिबन्ध नही होगा।

सार्वजनिक परिवहन प्रतिबन्धित नही होगा।

मतदान केन्द्र में प्रवेश

1–मतदाता।

2–उम्मीदवार।

3–निर्वाचन अभिकर्ता।

4–व प्रत्येक उम्मीदवार का एक मतदान अभिकर्ता–एक बार में।

5–निर्वाचन ड्यूटी में संलग्न सरकारी सेवक।

6–अन्धा या कमजोर व्यक्ति तथा उसे सहारा दे रहा एक व्यक्ति।

7– आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति।

8– आयोग से अधिकार पत्र प्राप्त पत्रकार जिसे वोट की गोपनीयता भंग करने सम्बन्धी फोटो लेने की अनुमति नही होगी।

मतदान दिवस तैयारी

रिटर्निंग आफिसर स्तर पर

क–मतदान सामग्री वितरण केन्द्र पर निम्न व्यवस्थायें।

1–निर्वाचन सामग्री यथा ई0वी0एम0, वी0वी0 पैट, निर्वाचन नियमावली की चिन्हित प्रति, हरी, गुलाबी सील, विशेष टेंग, टेण्डर वैलेट पेपर आदि देने हेतु बूथवार काउण्टर।

ख–सेक्टर आफिसर के माध्यम से मतदान दल की उपस्थिति तथा सामग्री वितरण

1–मतदान दल में अस्वस्थ, अयोग्य, अक्षम की पहचान कर रिर्जव मतदान दल से कार्मिको की तैनाती।

कानून व्यवस्था की स्थिति

सुरक्षा बलों की तैनाती

संवेदनशील एवं वल्नेनवेल बूथों की सुरक्षा व्यवस्था।

मतदान बूथ के अंदर बैठने की व्यवस्था

वोटिंग कम्पार्टमेन्ट, माडल ले आउट के अनुसार लगाया जायेगा।

ई0वी0एम0, खिड़की या दरवाजे के पास नही रखी जायेगी।

मतदान कम्पार्टमेन्ट व वी0वी0 पैट इस तरह रखा जायेगा, कि खिडकी दरवाजे या अन्य किसी तरह मतदाता के अतिरिक्त अन्य कोई मतदान करते समय देख न सके।

कन्ट्रोल यूनिट, पीठासीन अधिकारी की मेज पर रखी जायेगी।

मतदान बूथ के बाहर पोलिंग स्टेशन तथा उम्मीदवारों की सूची लगायी जायेगी।

वी0वी0 पैट के ऊपर सीधी रोशनी न पड़े व्यवस्था की जायेगी।

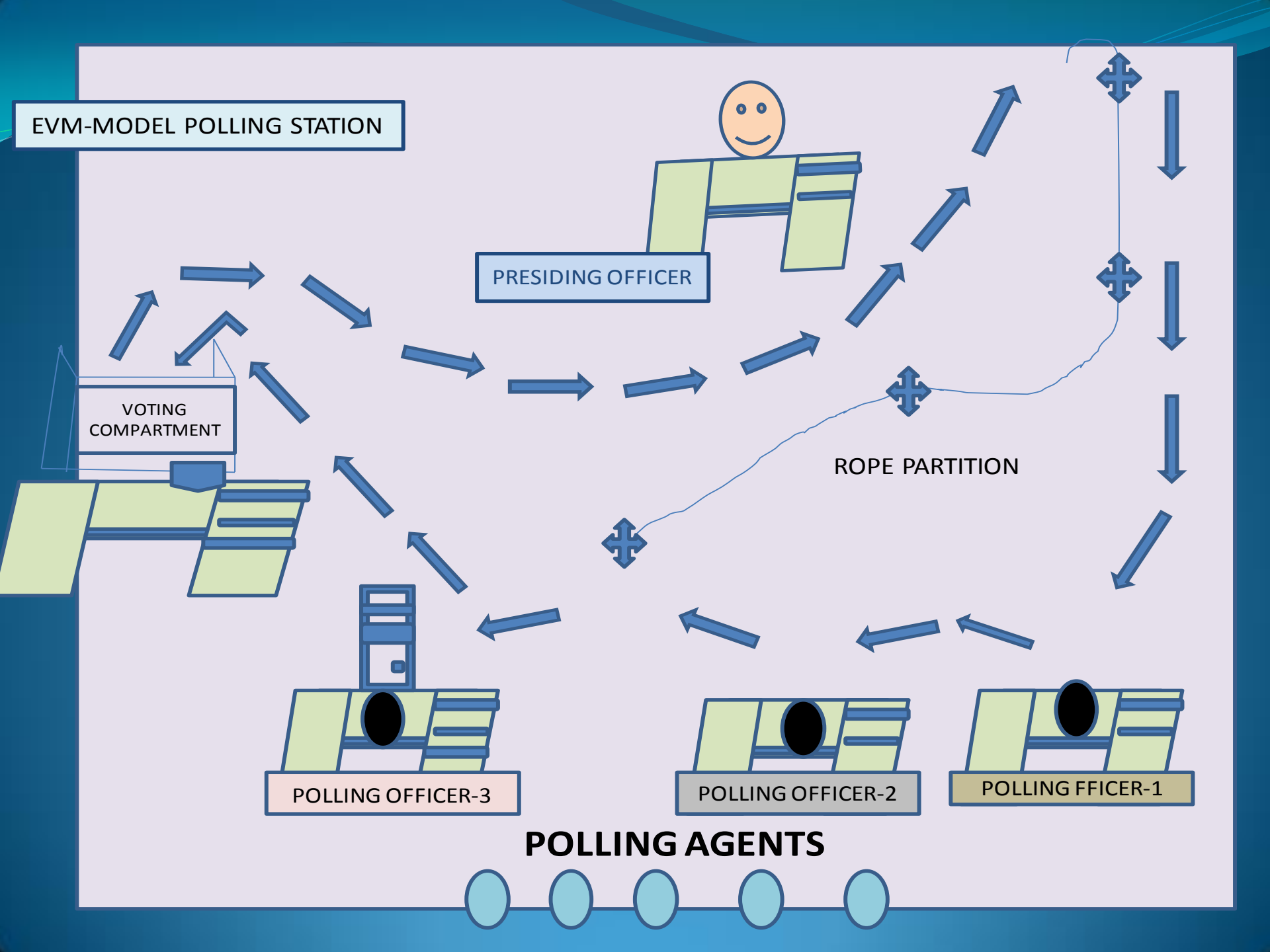
EVM-MODEL POLLING STATION
PRESIDING OFFICER
VOTING COMPARTMENT
ROPE PARTITION
POLLING OFFICER-3
POLLING OFFICER-2
POLLING FFICER-1
POLLING AGENTS

पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान प्रारम्भ की तैयारी

बी0यू0 / सी0यू0 तथा वी0वी0 पैट चेक एवं प्रदर्शित करेंगे।

मतदाता सूची की चिन्हित प्रति तथा मतदाता रजिस्टर प्रदर्शित करेगे।

निर्वाचन मे भाग ले रहे उम्मीदवारों की सूची फार्म–7, में चिपकायेंगे।

छद्म मतदान मतदान अभिकर्ताओं जो कि उसी बूथ के वोटर होगे तथा उम्मीदवार या उसके एजेण्ट के हस्ताक्षर से नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करेंगे उनकी उपस्थिति में सम्पन्न करेंगे।

छद्म प्रमाण पत्र तैयार करेंगे।

मशीन को मॉक पोल से क्लीयर कर पुनः कन्ट्रोल यूनिट व वी0वी0 पैट को सील करेंगे।

पीठासीन अधिकारी मतदान की गोपनीयता के सम्बन्ध में आर0पी0 एक्ट 1951 की धारा–128 पढकर सुनायेंगे।

पीठासीन अधिकारी मतदाता को मतदान की शूचीता बनाये रखने हेतु टेण्डर वोट, चैलेंज वोट आदि की व्यवस्था बनायेगे।

रिटर्निंग आफिसर ऐसे बूथ जहॉ पर छद्म मतदान मतदान अभिकर्ताओं की अनुपस्थिति या एक एजेण्ट की उपस्थिति में किया गया हो की सूची रखते हुये ऐसे बूथों पर विशेष ध्यान रखेगे।

[ECI's No. 464/INST/2008-EPS dt. 18.12.2008]

रिटर्निंग आफिसर छद्म मतदान कराये जाने एवं मतदान प्रारम्भ होने की सूचना सेक्टर आफिसर के माध्यम से मतदान प्रारम्भ होने के 30 मिनट के अन्दर प्राप्त करेंगे।

मतदाताओं की पहचान आयोग द्वारा निर्धारित पहचान पत्रों से की जायेगी।

पहचान पत्रों एवं मतदाता सूची में मिलान में आने वाली छोटे मोटे अन्तर को नजर अंदाज किया जायेगा।

मतदान दल

मतदान दल में 4 अधिकारी सम्मिलित होगे।

पीठासीन अधिकारी मतदान दल का प्रभारी होगा।

पी0ओ0–1 मतदाता की पहचान तथा चिन्हित मतदाता सूची के लिये उत्तरदायी होगा।

पी0ओ0–2 अमिट स्याही लगाने तथा वोटर का रिकार्ड रखने हेतु उत्तरदायी होगा।

पी0ओ0–3 कन्ट्रोल यूनिट का प्रभारी होगा।

प्रवेक्षण अधिकारी भ्रमण

1–सेक्टर आफिसर / मजिस्ट्रेट।

2–जोनल मजिस्ट्रेट

3–रिटर्निंग अधिकारी

4–जिला निर्वाचन अधिकारी

5–प्रेक्षक

उपरोक्त अधिकारियों के भ्रमण पर विजिट षीट पर विवरण अंकित कराते हुये हस्ताक्षर कराये जायेंगे।

मतदान केन्द्र पर विषेश स्थिति

वृद्ध या कमजोर व्यक्ति– नियम 49 एन के अन्तर्गत 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को मत की गोपनियता बनाये रखने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सहयोग की अनुमति देगे।

प्राक्सी वोटर्स को वोटिंग करने की अनुमति देगे। rp act 1951 dhara 60 me sanshodhan

नियम 49 ओ0 के अन्तर्गत मतदाता को वोट न करने को 17 मे दर्ज की अनुमति देगे।

टेण्डर वोट(निविदत्त मत)–नियम 49 पी के अन्तर्गत फार्म 17 बी भरने व साईन करने के बाद वोटर को टेण्डर वैलेट पेपर जारी कर लिफाफे के अन्दर शील कर रखेंगे।

चैलेंज वोट– 02

टेण्डर वोट(निविदत्त मत)– नियम–49 पी0

मतदाता का मत पूर्व में ही उसी मतदाता के रूप में रिकार्ड होने पर यदि मतदाता मत देने हेतु उपस्थित होता है, तो उसे निविदत्त मतपत्र प्रदान किया जायेगा।

पीठासीन अधिकारी निर्वाचक की पहचान के बारे में अपने समाधान हेतु उससे ऐसे प्रश्न पूछेगें, जिन्हे वे उसकी पहचान के बारे में आवश्यक समझते हो।

ऐसे मतदाता को पीठासीन अधिकारी वैलेट पेपर उपलब्ध कराकर मतदान करायेंगे।

इस हेतु पीठासीन अधिकारी को रिटर्निंग आफिसर द्वारा 20 मतपत्रों के पीछे निविदत्त मतपत्र शब्द अंकित कर दिये जाते हैं।

नियम 49 पी के अन्तर्गत फार्म 17 बी भरने व प्रारूप के स्तम्भ 5 में हस्ताक्षर या अंगूठा निशान साईन करने के बाद वोटर को टेण्डर वैलेट पेपर जारी कर लिफाफे के अन्दर शील कर रखेंगे।

चुनौती वोट– 02

आम तौर पर, मतदाता होने का दावा करने वाला और नाम तथा अन्य विवरण सही सही बताने वाले और पहचान दस्तावेजो की मदद से अपनी पहचान साबित करने वाला व्यक्ति वास्तविक मतदाता माना जाता है।

मतदाता होने का दावा करने वाला कोई व्यक्ति मतदान केन्द्र पर वोट डालने के लिये आता है और यदि कोई मतदान एजेण्ट उस व्यक्ति की पहचान को चुनौती देता है, तो उस निर्वाचक/मत, को चुनौती दिया गया मत/निर्वाचक कहा जा सकता हैं।

चुनौती स्वीकार करने से पहले पी0ओ0 उस मतदान अभिकर्ता से 02 रूपयें जमा करने के लिये कहेगें।

राशि का भुगतान करने के बाद, निर्धारित प्रपत्र में चुनौती देने वाले को एक रसीद प्रदान की जायेगी।

पीठासीन अधिकारी मतदान अभिकर्ता द्वारा उठाई गई चुनौती पर एक सक्षिप्त जांच की जायेगी।

यदि मतदाता की उंगली पर अमिट स्याही लग गई है, तो चुनौती स्वीकार नही की जायेगी।

पीठासीन अधिकारी चुनौती देने वाले से अपने आरोप के समर्थन में सबूत पेश करने के लिये कहेंगे।

यदि चुनौती देने वाला व्यक्ति अपनी चुनौती के समर्थन में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो चुनौती अस्वीकार कर दी जायेगी।

यदि प्रथम दृष्टया साबित हो जाता है, तो मतदाता को चुनौती का खंडन करने के लिये सबूत पेश करने के लिये कहा जायेगा।

ग्राम अधिकारी सम्बन्धित निर्वाचक के पडोसियों और मतदान केन्द्र पर उपस्थित किसी अन्य व्यक्ति से सही तथ्य का पता लगाया जायेगा।

साक्ष्य लेते समय पीठासीन अधिकारी चुनौती दिये गये व्यक्ति या साक्ष्य देने वाले व्यक्ति को शपथ दिला सकते हैं।

यदि जांच के बाद चुनौती स्थापित नही होती है, तो पी0ओ0 चुनौती दिए गए व्यक्ति को मतदान करने की अनुमति देंगे।

नियम 49 एम के अन्तर्गत मत की गोपनियता नही बनाने के कारण वोट पर्ची जारी करने के बाद भी पीठासीन अधिकारी मतदाता को वोट देने से मना करेंगे।

मतदाता से वोटर पर्ची वापिस प्राप्त कर पर्ची पर मतदान व्यवस्था 17 ए का उल्लंघन करने के कारण वोट की अनुमति नही दी जाती है लिखेंगे।

ए0एस0डी0 वोटर की दशा में पीठासीन अधिकारी वोटर की पहचान करेंगे। बायें अंगूठे का निशान फार्म 17 ए में लगवायेंगे।

02 रूपये फीस जब्त कर सरकार को जमा कर दी जायेगी और रसीद बुक में फार्म 14 के कॉलम 10 और सम्बन्धित काउटर फाईल में जब्त शब्द दर्ज किया जायेगा।

यदि चुनौती स्थापित हो गई है, तो पी0ओ0 चुनौती दिये गये व्यक्ति को मतदान करने से रोक देंगे और ऐसे व्यक्ति को लिखित शिकायत के साथ पुलिस को सौंप देंगे।

पीठासीन अधिकारी प्रारूप 14 के कालम 10 में उसकी रसीद लेने के बाद, चुनौती देने वाले व्यक्ति को दो रूपयें की चुनौती शुल्क वापस कर देंगे।

प्रारूप/फार्म 14 पर निर्वाचक के रूप में चुनौती दिये गये व्यक्ति का नाम और पता लिखा जायेगा।

पीठासीन अधिकारी की आख्या

पीठासीन अधिकारी के लिये आवश्यक होगा कि वह विशेष घटनाक्रम एवं घटनाक्रम के दौरान अपनायी गई प्रक्रिया को डायरी में अंकित करेंगे।

विजिट शीट पीठासीन अधिकारी किसी भी अधिकारी जोकि मतदान केन्द्र का भ्रमण करने के लिये अधिकृत है उनसे भ्रमण का विवरण भ्रमण यशीट में दर्ज करायेंगे।

अतिरिक्त आख्या– पीठासीन अधिकारी द्वारा 16 बिन्दुओं पर रिटर्निंग आफिसर को अपनी आख्या प्रेषित की जायेगी।

वोटर रजिस्टर 17–ए के विभिन्न कालमों को पीठासीन अधिकारी द्वारा पूर्ण कराया जायेगा।

मतदान समाप्ति

मतदान समाप्ति पर पीठासीन अधिकारी कन्ट्रोल यूनिट का क्लोज बटन दबायेंगे तथा मशीन द्वारा बताये जा रहे मतदान विवरण को पी0ओ0 डायरी में अंकित करेंगे तथा इसे 17 ए वं 17 सी से मिलायेंगे।

मतदान समाप्ति की घोषणा पूर्ण कराते हुये फार्म 17 ए पर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लेंगे।

मतदान अभिकर्ताओं को मतपत्र का लेखा 17 सी की एक सत्यापित प्रति उपलब्ध करायेगे।

मतदान समाप्ति पर वोटिंग मशीन, बी0यू0,सी0यू0 वी0वी0पैट को निर्धारित डिब्बो में शील करेंगे तथा समस्त निर्वाचन प्रपत्रों को निर्धारित लिफाफे में शील करेंगे।

पीठासीन अधिकारी मतदाता को मतदान की शूचीता बनाये रखने हेतु टेण्डर वोट, चैलेंज वोट आदि की व्यवस्था बनायेगे।

मशीन एवं समस्त प्रपत्रों को आर0ओ0 प्राप्त करायेंगे।

पहले से उम्मीदवार को प्राप्त कराये गये रूट से ही पोलिंग पार्टियॉ मतदान समाप्ति स्थल पर वापिस आयेंगी।

मतदान सामग्री प्राप्ति केन्द्र

अबाधित विद्युत, इंटरनेट व्यवस्था।

भोजन, पानी, शौचालय तथा बैठने की उचित व्यवस्था।

ई0वी0एम0, वी0वी0 पैट प्राप्त करने का पृथक काउण्टर।

संवीक्षा हेतु प्रयुक्त

डाक मतपत्र का लेखा 17–सी0,

मतदाता रजिस्टर 17–ए,

पीठासीन अधिकारी की डायरी,

मतदान प्रारम्भ होने तथा छद्म मतदान का प्रमाण पत्र,

पीठासीन अधिकारी की 16 बिन्दुओं की रिपोर्ट

वोटर टर्न आउट रिपोर्ट पी0एस0–05

हेतु पृथक काउण्टर तथा उक्त अभिलेखों के मिलान हेतु अधिकारियों की तैनाती।

माईक्रो आब्जर्वर की रिपोर्ट प्राप्त करने के लिये पृथक काउण्टर।

समस्त अभिलेख प्राप्त होने उपरान्त ही पीठासीन अधिकारी एवं सेक्टर आफिसर को रिलीव किया जाये।

मतयुक्त मशीन का सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना

मतयुक्त ई0वी0एम0 मशीन को विधिवत सुरक्षा में स्ट्रांग रूम में पहुचाना,

स्ट्राग रूम के बाहर 24×7 त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था।

सी0सी0 टी0वी0 कैमरे की व्यवस्था।

स्ट्रांग रूम में प्रत्येक बूथ के लिये मशीन रखने हेतु फर्ष पर बूथ का नाम अंकन।

17–सी की एक प्रति कन्ट्रोल यूनिट के साथ संलग्न की जायेगी तथा एक प्रति सांविधिक लिफाफे में संरक्षित की जायेगी।

स्ट्रांग रूम उम्मीदवार, उसके एजेण्ट अथवा नियुक्त प्रतिनिधि एवं प्रेक्षक की उपिस्थति में षील किया जायेगा।

उम्मीदवार को स्ट्रांग रूम के बाहर रहकर निगरानी की अनुमति दी जायेगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी नियमित रूप से स्ट्रांग रूम चैक करेगे तथा इसकी लॉक बुक मैंनटेंन करेंगे।

एक बार स्ट्रांग रूम शील हो जाने के बाद किसी प्रकार से खोलने की आवश्यकता है तो उम्मीदवारों को सूचित करके तथा इसके सम्बन्ध में अभिलेखीकरण करके ही खोला जा सकेगा।

निर्वाचन प्रपत्रों का जमा कराया जाना

मतपत्र का लेखा दो प्रतियों में।

मतदान प्रारम्भ, मतदान के मध्य तथा मतदान की समाप्ति पर पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाने वाली घोषणा।

पीठासीन अधिकारी की डायरी विजिट शीट के साथ।

सांविधिक लिफाफे

निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति।

वोटर रजिस्टर।

वोटर स्लिप।

प्रयुक्त टेण्डर वेलेट पेपर।

अप्रयुक्त टेण्डर वेलेट पेपर।

असांविधिक लिफाफे

चिन्हित प्रति के अतिरिक्त निर्वाचक नामावली।

मतदान अभिकर्ता नियुक्ति फार्म 10

इ0डी0सी0 फार्म 12–बी0

चैलेंज वोट सूची फार्म 14

अंधे एवं कमजोर मतदाताओं की घोषणा फार्म 14–ए

मतदाता से उसकी आयु के सम्बन्ध में प्राप्त घोशणा।

चैलेज वोटर से प्राप्त धनराषि एवं रिसिप्ट बुक।

अप्रयुक्त एवं खराब पेपर सील, स्पेषल टेंग, स्ट्रिप सील।

अप्रयुक्त वोटर स्लिप।

मतदान सामग्री

तृतीय पैकिट – भूरा

पीठासीन अधिकारी की हस्तपुस्तिका

अमिट स्याही।

इंक पैड।

धातु शील।

एरो क्रास मार्क।

अमिट स्याही दवात।

चतुर्थ पैकिट – नीला

अन्य सामग्री वोटिंग कम्पार्टमेन्ट के साथ।

चुनाव आयोग को भेजे जाने वाली रिपोर्ट

मॉक पोल।

पोल प्रारम्भ की सूचना।

मतदान प्रारम्भ से प्रथम घण्टे एवं प्रत्येक दो घण्टे तथा पोलिंग पार्टियों के वापिस आने।

मतदान प्रतिशत।

अन्य कोई विषेश घटना।

ई0वी0एम0 परिवर्तन की सुविधा।

मीडिया मानिटरिंग एवं व्यय मानिटरिंग आख्या।

शिकायत एवं उसके निस्तारण की आख्या।

1 बजे, 7 बजे एवं प्रातः 7 बजे– स्कूटनी के बाद अनिवार्य आख्या।

स्कूटनी

आब्जर्वर द्वारा उम्मीदवार एवं उम्मीदवार अभिकर्ता की उपस्थिति में

आर0ओ0 से विवरण प्राप्त कर मतदान के अगले दिवस मतदान प्रक्रिया की समीक्षा की जाती हैं।

स्कूटनी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करने का प्राविधान हैं।

संवीक्षा के दौरान फार्म 17–ए, 17–सी, पीठासीन अधिकारी की डायरी, शिकायत पंजिका, विजिट षीट, माईक्रो आब्जर्वर रिपोर्ट आदि

की संवीक्षा कर इस निष्कर्ष पर पहुचा जाता है कि किसी मतदान स्थल पर मतदान प्रक्रिया के दौरान

मतदान को

बाधित किया गया हो,

वोटर को डराया गया हो

या

फर्जी मतदान किया गया हो,

तो पुनः मतदान का निर्णय लिये जाने हेतु रिपोर्ट ECI को प्रेशित की जाती हैं।

पुनः मतदान

निर्वाचन आयोग के आदेष पर चिन्हित बूथों पर पुर्न मतदान किया जाता हैं।

रिजर्व ई0वी0एम0 एवं रिजर्व कार्मिक से मषीन व कार्मिक लिये जाने की व्यवस्था है।।

मशीनो पर रिपोल के स्टिगर लगाये जायेंगे।

पुर्न मतदान/स्थगन

आर0पी0 एक्ट–1951 की धारा–52–मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्य दल के उम्मीदवार की मतदान से पूर्व मृत्यु पर

आर0पी0 एक्ट–1951 की धारा–57

पीठासीन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी की आख्या पर

प्राकृतिक आपदा के कारण पोलिंग पार्टी के मतदान स्थल पर न पहुच पाने पर

या

मतदान सामग्री के खराब होने पर

आर0ओ0 द्वारा निर्धारित माध्यम से आयोग को प्रेषित रिपोर्ट पर आयोग द्वारा पुर्न मतदान/मतदान स्थगन का निर्णय लिया जाता हैं।

मतदान दिवस तैयारी

क– योजना– निर्वाचन प्रक्रिया के समस्त पहलुओं को डी0ई0एम0पी0 में लेखबद्ध कर लेने पर त्रुटि की सम्भावना कम हो जाती हैं।

ख– संसाधन–

भौतिक–

1–निर्वाचन कार्यालय

2–मतदान दल प्रस्थान स्थल।

3–स्ट्रांग रूम।

4–मतदेय स्थल।

5–वाहन व्यवस्था।

मानवीय– कार्मिक व्यवस्था।

ग–निर्वाचन नियमों का ज्ञान।

घ–अच्छा प्रशिक्षण।

ङ–सम्वाद।

च–आपात स्थिति व्यवस्था।

छ–निर्वाचन क्षेत्र का ज्ञान।

ज–समय प्रबन्धन।

झ–लीडर शिप गुणों का उपयोग।

ञ–टीम वर्क।

आर0एफ0पी0 1951 में उल्लिखित अनुसार निर्वाचन अभिकर्ता, अभ्यर्थी के सभी कार्य कर सकता हैं।

संवीक्षा कार्यवाही में भाग ले सकते है (S36 of RPA, 1951)

अभ्यर्थी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और ऐसा करने के लिये अधिकृत होने पर अभ्यर्थिता वापसी का निर्धारित प्रारूप/फार्म जमा कर सकते हैं। (S37 of RPA, 1951)

मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति (S46 of RPA, 1951)

मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति (S47 of RPA, 1951)

मतदान अभिकर्ताओं और मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति को रदद करना (S48 of RPA, 1951)

सभी तरह के कार्यो में अभ्यर्थी की तरफ से उपस्थिति और निष्पादन (S50 of RPA, 1951)

किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखे को बनाए रखने के लिये अधिकृत (S77(1) of RPA, 1951)

मतदान केन्द्र में प्रवेश के लिये अधिकृत (R 49D of COER, 1961)

मतगणना हाल में प्रवेश करने के लिये अधिकृत (R 53 of COER, 1961)

अभ्यर्थी की अनुपस्थिति में मतों की पुनर्गणना के लिये आवेदन प्रस्तुत करने के लिये अधिकृत (R 63 of COER, 1961)

निर्वाचक अभिकर्ता द्वारा किया गया कोई भी भ्रष्ट आचरण (जैसा कि आर0पी0ए0, 1951 की धारा–123 से 136 और आई0पी0सी0 के अध्याय IXA में उल्लिखित हैं) को कानून रूप से अभ्यर्थी द्वारा किया गया माना जायेगा और ऐसा कृत्य अभ्यर्थी के निर्वाचन को शून्य भी घोषित कर सकता हैं।

प्रत्येक अभ्यर्थी को विभिन्न व्यय सम्बन्धी मामलों में अभ्यर्थी की सहायता के लिये एक अतिरिक्त निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करने की भी अनुमति हैं।

यह अतिरिक्त अभिकर्ता केवल व्यय निगरानी मामलों से सम्बन्धित गैर वैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने के उद्देश्य से होगा।

कोई अभ्यर्थी किसी भी समय फार्म 9 सम्बन्धित आर0ओ0 के पास जमा कर, निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति को रदद कर सकता है।

यदि किसी निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति रदद की जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो अभ्यर्थी उसके स्थान पर किसी अन्य निर्वाचन अभिकर्ता को नियुक्त कर सकता हैं।

अभ्यर्थियों या उसके निर्वाचन अभिकर्ताओं द्वारा नियुक्त मतदान अभिकर्ताओं का दिखावा करने वाले बेईमान व्यक्तियों द्वारा मतदान केन्द्रों पर किसी भी कदाचार को रोकने के लिये आर0ओ0 को अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के नमूना हस्ताक्षर प्राप्त करना चाहिए और प्रत्येक पीठासीन अधिकारियों को प्रदान करने चाहिए।

निर्वाचन व्यय के लिये बैंक खाता या तो अभ्यर्थी के नाम पर या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त नाम पर खोला जा सकता हैं।

मतदान के दिवस, प्रत्येक अभ्यर्थी पूरे निर्वाचन क्षेत्र के लिये अपने निर्वाचन अभिकर्ता के उपयोग के लिये 01 वाहन के अलावा स्वयं के लिये 01 वाहन और अपने कार्यकर्ताओं के लिए 01 वाहन का पर्मिट प्राप्त कर सकता हैं।

धन्यवाद